राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ ( )/नि.रा./स्वा.मि./2020/367 दिनांक :– 27.2.2020

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त राजस्थान।

विषयः–निरोगी राजस्थान अभियान के तहत स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर सूचना भिजवाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य को ओर अधिक बेहतर बनाने के लिये जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। लोगों के बदलते जीवन शैली से बहुत तेजी से रोग बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए रोगो के रोकथाम के लिए लोगो के जीवन शैली एवं व्यवहार मे बदलाव कर रोगो को मिटाया जा सकता है। इसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान के समस्त नागरिकों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं और उनके निदान के लिए दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 से राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान "निरोगी राजस्थान" अभियान का शुभारम्भ किया जा चुका हैं।

निरोगी राजस्थान अभियान के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में जिले के प्रत्येक राजस्व ग्राम एवं शहरी क्षेत्र में जनता क्लिनिक क्षेत्र से स्वेच्छा से कार्य करने वाले दो स्वास्थ्य मित्र (प्रत्येक राजस्व ग्राम से एक महिला व एक पुरूष एवं शहरी क्षेत्र के जनता क्लिनिक क्षेत्र से एक महिला व एक पुरूष) का चयन किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि **दिनांक 15.03.2020** तक ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में ई–मेल **addldirector.rch@gmail.com** पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। इस संबंध में विस्तृत guidelines संलग्न है।

संलग्नः–
1.स्वास्थ्य मित्रों की चयन प्राक्रेया एवं प्रशिक्षण
2.आवेदन पत्र
3.प्रपत्र स्वास्थ्य मित्र की सूचना

27/02/2020
अति0 मुख्य सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण विभाग
जयपुर

क्रमांक एफ ( )/नि.रा.मॉ./2020/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, चि. एवं स्वा. विभाग. जयपुर।
4. निजी सचिव मिशन निदेशक, (एनएचएम) एवं विशिष्ट शासन सचिव, चि.स्वा. एवं प.क. जयपुर।
5. निदेशक जन–स्वास्थ्य/आरसीएच चि. एवं स्वा. सेवाये जयपुर।
6. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
7. संयुक्त निदेशक, जोन समस्त राजस्थान।
8. सर्वर रूम ई–मेल हेतु।

विशिष्ट शासन सचिव
चिकि.स्वा.एवं प.क.व
मिशन निदेशक (एनएचएम)

addldirector.rch@gmail.com

निरोगी राजस्थान अभियान

स्वास्थ्य मित्रों की चयन प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण

प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य को ओर अधिक बेहतर बनाने के लिये जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। नागरिकों की जीवन शैली बदल रही है जिससे जीवन शैली से सम्बन्धित रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इन रोगों की रोकथाम लोगों की जीवन शैली तथा व्यवहार में बदलाव से ही सम्भव है। इस बात को महसूस करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश में राज्यव्यापी "**निरोगी राजस्थान**" अभियान प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।

इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान के समस्त नागरिकों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं और उनके निदान के लिए राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर 17 दिसम्बर, 2019 से राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान "**निरोगी राजस्थान**" अभियान का शुभारम्भ किया गया है।

निरोगी राजस्थान अभियान के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्य किया जाएगा :–

1. गैर संचारी रोग की रोकथाम (जीवनशैली आधारित– मोटापा, मधुमेह, बीपी, मनोरोग, ह्रदयरोग, पक्षाघात, कैंसर, फेंफड़ा संबंधी रोग)
2. संचारी रोग की रोकथाम (मौसमी बीमारियां)
3. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य का सुदृढ़ीकरण (एनीमिया, कुपोषण, शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विकास)
4. टीकाकरण एवं वयस्क टीकाकरण (सम्पूर्ण टीकाकरण)
5. किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनीमिया, कुपोषण, मोटापा, माहवारी स्वच्छता)
6. वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल (जेरियेट्रिक केयर)
7. नशा मुक्ति अभियान (शराब, ड्रग्स, तम्बाकू)
8. खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ अभियान
9. प्रदूषण नियंत्रण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी बीमारियों की रोकथाम
10. जनसंख्या स्थिरीकरण (परिवार कल्याण कार्यक्रम)

निरोगी राजस्थान अभियान के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक राजस्व ग्राम एवं शहरी क्षेत्र में प्रत्येक शहरी जनता क्लिनिक के क्षेत्र से स्वेच्छा से कार्य करने वाले दो व्यक्तियों (एक महिला व एक पुरूष) का चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा "**स्वास्थ्य मित्र**" का चयन किया जायेगा।

❖ चयन प्रक्रिया **:**

- जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन कर स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया जाएगा एवं विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्रों में मु. चि. स्वा. अ. स्तर से दिया जाएगा।
- इस हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आवेदको द्वारा सम्बन्धित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जमा किये जाएगें।
- ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्ड स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों की निर्धारित प्रक्रियानुसार जांच कर समस्त आवेदन पत्र जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जमा करायेगें।

❖ **स्वास्थ्य मित्र के चयन हेतु मापदंड**

- राजस्व ग्राम क्षेत्र/शहरी जनता क्लीनिक क्षेत्र के वार्ड का मूल निवासी एवं वर्तमान में वहीं निवास करते हैं।
- आयु सीमा 40 से 60 वर्ष
- सामाजिक/सामुदायिक संगठन के सदस्य को प्राथमिकता ।
- परिवार नियोजन के सिद्धांत को अपनाने वाला।
- किसी दुर्व्यसन (नशा/मादक पदार्थ) की आदत न होना एवं अपने को दुर्व्यसनों से दूर रखने वाला।
- नेतृत्व और संचार (कम्यूनिकेशन) में कुशलता।
- स्वस्थ जीवन शैली का पालन व व्यवहार कुशल।
- समुदाय में लोगों के व्यवहार/जीवनशैली में परिवर्तन करने की क्षमता।

❖ **स्वास्थ्य मित्र – भूमिका तथा दायित्व**

- गांव में नियमित गृह संपर्क कर निरोगी राजस्थान का प्रचार प्रसार।
- समुदाय तथा व्यक्तिगत सदस्यों को लघु चलचित्र द्वारा निरोगी राजस्थान के 10 मुख्य क्षेत्रो की जानकारी देना।
- समुदाय को अंगदान हेतु प्रेरित करना।
- समुदाय आधारित समूहों के साथ जुडना।
- वी एच एस एन सी को सक्रिय करना।
- आउटरीच गतिविधियों जैसे कि एम सी एच एन दिवस , सास बहु सम्मेलन, किशोर–किशोरी स्वास्थ्य दिवस तथा माँ कार्यक्रम में भागीदारी हेतु संभावित लाभान्वितों को प्रोत्साहित करना तथा मोबाइल मेडिकल यूनिट हेतु लाभान्वितों को प्रेरित करना।
- परिवार कल्याण सामग्री / आईएफए टेबलेट्स के वितरण में सहयोग।
- पूरे दिन के कार्य की जानकारी मोबाइल एप द्वारा देना।
- झोला छाप की जानकारी देना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर होने वाली मासिक बैठक में भाग लेना।
- आपातकालीन स्थिति में 108/104/एमएमयू/एमएमवी सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता।

❖ प्रशिक्षण

- ब्लॉक/सेक्टर स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु
  - निरोगी राजस्थानः एक परिचय।
  - स्वास्थ्य मित्रः उद्देश्य एवं भूमिका।
  - स्वास्थ्य सेवा तन्त्र का परिचय
  - ग्राम स्तर पर कार्यरत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की निरोगी राजस्थान मे भूमिका तथा उनको स्वास्थ्य मित्रों के बारे में अवगत करवाना।
  - निरोगी राजस्थान के 10 प्राथमिकता वाले क्षेत्र तथा उनसे सम्बधिंत योजनाओं की जानकारी।
- स्वाथ्य मित्र किट का वितरण
  - निरोगी राजस्थान बैग
  - स्वास्थ्य मित्र – लघु पुस्तिका
  - स्वास्थ्य मित्र का परिचय पत्र
  - स्वास्थ्य मित्र का बैज (badge)
  - एक माह का गृह कार्य।
  - अभियान की पूर्ण नियमित आंकलन एवं रिपोर्टिंग।

❖ प्रोत्साहन : वित्तीय एवं गैर वित्तीय

- ग्राम सभा का सदस्य बनाया जाना प्रस्तावित है।
- ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का सदस्य बनाया जाना प्रस्तावित है।
- स्वास्थ्य मित्र को एसडीएमसी (School Development Management Committee) का सदस्य बनाया जाना प्रस्तावित है।
- पी.एच.सी./ब्लॉक/जिला स्तर बैठक में मान्यता/प्रशंसा।
- राष्ट्रीय दिवसों पर स्वास्थ्य मित्रों को उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत करना।
- सक्रिय स्वास्थ्य मित्रों को ओपन स्कूल द्वारा उच्च शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाना।
- सेक्टर स्तर की बैठक में भाग लेने हेतु 150 रूपये प्रति स्वास्थ्य मित्र का यात्रा भत्ता
- नियमानुसार निर्धारित राशि का मोबाइल रिचार्ज पुर्नभरण।

❖ रिपोर्टिग एवं क्षमतावर्धन

- ग्राम स्तर :स्वास्थ्य मित्र ए.एन.एम. को रिपोर्ट एवं उनके समन्वय में कार्य करेगें।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर : ए.एन.एम द्वारा सूचना एकत्रित कर पीएचसी आशा सुपरवाईजर एवं एलएचवी के साथ साझा करना।

निरोगी राजस्थान अभियान

स्वास्थ्य मित्रों का चयन

निरोगी राजस्थान अभियान के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक राजस्व ग्राम एवं शहरी क्षेत्र में प्रत्येक शहरी जनता क्लिनिक के क्षेत्र से स्वेच्छा से कार्य करने वाले दो व्यक्तियों (एक महिला व एक पुरूष) का चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चयन किया जायेगा। जो व्यक्ति सीमित परिवार की अवधारणा रखते हो, किसी प्रकार का नशा नही करते हो तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वेच्छा से (अवैतनिक / बिना मानदेय) कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों से निम्न प्रारूप में स्वास्थ्य मित्र हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। चयनित स्वास्थ्य मित्रों को किसी प्रकार का वेतन / मानदेय देय नही होगा। स्वास्थ्य मित्र के चयन उपरान्त निम्न परिलाभ नियमानुसार दिये जा सकेगें।

1. **नियमानुसार निर्धारित राशि का मोबाइल रिचार्ज का पुर्नभरण।**
2. सेक्टर स्तर पर विभागीय बैठक में उपस्थित होने पर आवागमन इत्यादि व्यय।

स्वास्थ्य मित्रों द्वारा किये जाने वाले कार्य व विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध हैं।

राजस्थान सरकार

कार्यालय, ...

स्वास्थ्य मित्र हेतु आवेदन पत्र

नाम	–	....
पिता / पति का नाम	–	....
जन्म दिनांक	–	........../............/...................
उम्र (दिनांक 01.01.2020 को)	–	....
समुदाय (एससी / एसटी / ओबीसी / जनरल)	–	....
पूर्ण पता	–	....
मोबाइल नं0	–	....
विवाहित / अविवाहित	–	....
यदि विवाहित हैं तो बच्चों की संख्या	–	....
शैक्षणिक योग्यता	–	....
राजस्व ग्राम / शहरी जनता क्लिनिक का नाम	–	....
सम्बन्धित पीएचसी / सीएचसी का नाम	–	....
स्वास्थ्य ब्लॉक का नाम	–	....
जिला	–	....
क्या आप सामाजिक संस्थान / स्वयंसेवी संस्थान (एनजीओ) से जुड़े हैं (हॉ / नहीं)	–	....
यदि हॉ तो संस्थान का नाम	–	....

सम्बन्धित संस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुडा हैं (हॉ / नहीं) – ....

यदि हॉ तो किस भौगोलिक क्षेत्र व स्वास्थ्य के किस गतिविधि में कार्यरत हैं –

....

दिनांक –

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

<u>सत्यापन</u>

मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपयुक्त विशिष्ठियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। स्वास्थ्य मित्र के चयन के पूर्व अथवा पश्चात किसी भी सूचना मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में मैं समझता/समझती हूं कि मेरे अभ्यर्थता/नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी । मैं ऐसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊँगा/ होऊँगी।

हस्ताक्षर

निरोगी राजस्थान अभियान 'स्वास्थ्य मित्र' (पुरूष व महिला) की चयन सूची का प्रारूप

जिला का नामः— जयपुर

ग्रामीण क्षेत्र

क.सं	ब्लॉक / पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	स्वास्थ्य मित्र का नाम	आयु	महिला / पुरूष	शैक्षणिक योग्यता	मोबाईल नम्बर	ई–मेल पता	विशेष विवरण

शहरी क्षेत्रः—

क्र.सं.	जनत क्लिनिक शहरी क्षेत्र का नाम	नगरनिगम / नगरपरिषद / नगरपालिका का नाम	वार्ड न.	स्वास्थ्य मित्र का नाम	जन्मतिथि / उम्र	महिला / पुरूष	शैक्षणिक योग्यता	मोबाईल नम्बर	ई–मेल पता	विशेष विवरण

कुल योग ग्रामीण +शहरी =